



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु

निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 06.11.2025

कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)



दि.एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कार्पो.लिमि.

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎ . 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305

✉ email - mpagrohobpl@gmail.com website : www.mpagro.org

CIN No. U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/प्रशासन/2025-26/

दिनांक 15.10.2025

निविदा सूचना

निगम में जनवरी 2025 से आगे की अवधि के लिए निम्नानुसार कार्य ठेका पद्धति से कराये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निम्नानुसार कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में दरे आमंत्रित की जाती है :-

क्रं	सुरक्षा व्यवस्था कार्य
1	निगम के मुख्यालय/जिला/क्षेत्रीय कार्यालय/उत्पादन ईकाईयां में सुरक्षा कार्य

निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 06.11.2025 तक अपरान्ह 02:00 बजे तक किया जाकर निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)



दि.एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कार्पो.लिमि.

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305

✉ email - mpagrohbpl@gmail.com website : www.mpagro.org

CIN No. U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/प्रशासन/2025-26/

दिनांक 15.10.2025

विस्तृत निविदा सूचना

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में जिला कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/उत्पादन ईकाईया संचालित है। इन संस्थानों की कार्य की आवश्यकता अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था हेतु ठेका पद्धिती पर किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा क्रं	कार्य का विवरण	स्थान	निविदा प्रपत्र राशि (रु में) जीएसटी सहित	संकल्प धनराशि (रु में)
1	2	3	4	5
1	सुरक्षा व्यवस्था	निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय/जिला कार्यालय/उत्पादन इकाईयां	5,900/-	1.50 लाख

निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 06.11.2025 तक अपरान्ह 2:00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे जिन्हें दिनांक 07.11.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे खोला जाएगा। योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website www.mpagro.org पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई-मेल पर सूचित किया जावेगा।

निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)



दि.एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कार्पो.लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305
✉ email - mpagrohbpl@gmail.com website : www.mpagro.org
CIN No. U01119MP19695GC001055

निगम के विभिन्न जिला / क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय / उत्पादन ईकाईयों में आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कार्य करने हेतु (इससे आगे चलकर सुरक्षा कार्य कहा गया है) की निविदा प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रु 5,900.00
आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रासेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 16.10.2025 को अपरान्ह 11.00 बजे से 06.11.2025 अपरान्ह 2.00 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	राशि रु 1.50 लाख
आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 16.10.2025 को अपरान्ह 11.00 बजे से 06.11.2025 अपरान्ह 3.00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 27.10.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे
आनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 07.11.2025 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website www.mpagro.org पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई-मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट— उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय— समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)



दि.एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कार्पो.लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305
✉ email - mpagrohbpl@gmail.com website : www.mpagro.org
CIN No. U01119MP19695GC001055

निगम के विभिन्न जिला/क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय/उत्पादन ईकाईयों में आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कार्य जनवरी 2024 एवं आगे की अवधि में करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 19 पृष्ठ निम्नानुसार है:-

क्रं	विवरण	पृष्ठ संख्या	अनुसूची
1	आवेदन पत्र	6	अनुसूची-1
2	सामान्य शर्तें	7-15	अनुसूची-2
3	घोषणा पत्र	16	अनुसूची-3
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 4)	17	अनुसूची-4
5	अनुबंध का प्रारूप	18	अनुसूची-5
6	अनुभव/परफारमंसे प्रमाण पत्र	19	अनुसूची-6

निविदा पत्र में उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ-

● निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
● निगम के कार्यालय/ उत्पादन ईकाई	मध्यप्रदेश राज्य में जिला/ क्षेत्रीय कार्यालय/ मुख्यालय/ उत्पादन ईकाईयों
● निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
● सुरक्षासेवा प्रदाता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
● संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची -2 शर्त क्रं. 6 के अनुसार
● धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपोजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची -2 शर्त क्रं. 12 के अनुसार
● प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
● कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)

निगम में सुरक्षा का कार्य ठेका पद्धति से करने हेतु करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन
लिमिटेड तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर भोपाल।

विषय— सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

हमारे द्वारा निगम में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है —

क्रं	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी/पब्लिक लिमिटेड/कंपनी/ पार्टनरशिप फर्म/अन्य	
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
3	निविदा प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	
4	दूरभाष क्रमांक, मोबाईल क्रं0, फैक्स क्रमांक, म्पस	
5	पैन नंबर	
6	GST नंबर	
7	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रु 5,900 /—	
8	संकल्प धन राशि (EMD) रु 150000 /—	
9	निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालन हेतु पसारा का वैध प्रमाण पत्र। (फोटो प्रति अपलोड करें)	
10	ई.पी.एफ.तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (फोटोप्रति अपलोड करें) (अनुसूची क्रमांक 02-03-07 अनुसार)	
11	फर्म का विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का टर्नओवर (अनुसूची क्रमांक 02 बिंदु क्रं 3.1.05 अनुसार)	
12	फर्म में दिनांक 31.03.2025 को नियोजित कर्मियों, सुपरवाइजर का विवरण नाम, अनुभव वर्षों में, कंपनी जहां कार्य किया हो सहित। (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें कि सूची में उल्लेखित कर्मी 31.03. 2025 की स्थिति में नियोजित थे सत्यापित जानकारी मूलतः हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत की जाए)	
13	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1 से 19 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील सहित की फोटो प्रति अपलोड करें। वित्तीय निविदा (पृष्ठ क्रमांक 17) की फोटो प्रति अपलोड नहीं की जाना है।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम



दि.एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कार्पो.लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305
✉ email - mpagrohobpl@gmail.com website : www.mpagro.org
CIN No. U01119MP19695GC001055

कार्य का स्वरूप

1. सामान्य जानकारी —

01. निगम द्वारा यह निविदा मध्यप्रदेश राज्य में निगम के जिला/ क्षेत्रीय कार्यालय/ मुख्यालय/ उत्पादन ईकाईयों में सुरक्षा कार्य हेतु आमंत्रित की गई है, अतः सुरक्षासेवा प्रदाता को निगम मुख्यालय एवं संबंधित कार्यालय प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी निगम मुख्यालय को दी जाती है तो निगम द्वारा संबंधित सुरक्षासेवा प्रदाता की धरोहर राशि को जप्त कर निगम के प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निगम के माध्यम से काम करने से वंचित कर दिया जाएगा।
02. सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य जिनका विवरण नीचे तकनीकी जानकारी के अंतर्गत दिया गया है, सुनिश्चित करना है।

2. कार्य का स्वरूप

01. सुरक्षाकार्य सप्ताह के सातों दिन 8 घण्टे, की तीन शिफ्टों में (24X7) किया जाएगा।
02. सुरक्षा कार्य हेतु जिला कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/उत्पादन ईकाई की आवश्यकता अनुसार तीनों शिफ्ट में सुरक्षाकर्मों उपलब्ध कराये जाने हैं। इन सुरक्षाकर्मियों के नियंत्रण एवं निगरानी की जिम्मेदारी सुरक्षा सेवा प्रदाता की होगी। सुरक्षा कर्मियों में प्रत्येक शिफ्ट की आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों का नियोजन किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा कर्मचारियों की आवश्यक संख्या का निर्धारण मुख्यालय/ कार्यालय प्रमुख/कार्यपालन अधिकारी/प्रभारी द्वारा किया जावेगा।

3. सामान्य शर्तें

1 अर्हता —

01. निविदाकर्ता निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य, जो श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेन्स धारक हो।
02. निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना आवश्यक है।
03. निविदाकर्ता के पास प्रत्येक संयंत्र में सुरक्षा सेवा कार्य के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित के दक्ष कर्मों होना चाहिए।
04. निविदाकर्ता के पास सुरक्षा सेवा कार्य ठेका पद्धति पर करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव के संबंध में संलग्न अनुसूची 6 के प्रारूप में परफरमेस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावे। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्रों के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष बिना अंतराल के अनुभव होना आवश्यक है।

05. निविदाकर्ता फर्म का विगत अंतिम तीन वर्षों (2022–23, 2023–24, 2024–25) का औसत टर्नओवर 50 लाख होना आवश्यक है।
06. निविदाकर्ता जी.एस.टी. नंबर धारक हो।
07. ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धारक हो।
08. निजी सुरक्षा सेवा कंपनी के संचालन के संबंध में प्रायवेट स्क्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट का वैध प्रमाण पत्र।
09. क्रमांक 1 से 8 तक के स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

4. आनलाईन निविदा पत्र की प्राप्ति—

- 4.1 निविदा पत्र निगम की वेब साइट www.mpagro.org पर अवलोकन हेतु दिनांक 16.10.2025 अपरान्ह 11.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Digital Signature है, वे निविदा पत्र का क्रय www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रासेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 16.10.2025 अपरान्ह 11.00 बजे से 06.11.2025 अपरान्ह 2.00 बजे तक किया जा सकता है।
 - 4.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रासेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रु 5000+GST=5900 ऑन लाईन जमा कराना आवश्यक है।
 - 4.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी। निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी।
 - 4.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं व संयंत्र की भौतिक स्थितियों से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।
5. प्री बिड मीटिंग— निविदा के संबंध में दिनांक 27.10.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे महाप्रबंधक (लेखा/ऑडिट), एम.पी. एग्रो इण्ड. डेव्हल. कार्पो. लि., तृतीय तल, पंचानन भवन के कक्ष आयोजित होगी। इच्छुक निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव दिनांक 27.10.2025 को अपरान्ह 2:00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकेंगे। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे, जो निविदा प्रपत्र का हिस्सा कहलायेंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री-बिड मीटिंग के उपरान्त निविदा की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगी, अतः यह आवश्यक है कि इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भलीभांति परिचित होकर आश्वस्त हो लें, जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे।
6. निविदा के साथ संकल्प धनराशि का भुगतान आनलाईन किया जाना आवश्यक है। बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी —
- 6.2 संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
 2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
 3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।

4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।
5. निविदा पत्र की शर्त क्रमांक 4.3 में वर्णित दशा में ।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की संकल्प धनराशि mptenders.gov.in द्वारा आनलाईन वापस संबंधित बैंक खाते में वापस की जावेगी। संकल्प धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

7. निविदा प्रस्तुत किया जाना –

- 7.1 ऑन लाईन निविदा दिनांक 06.11.2025 अपरान्ह 3:00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।
- 7.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय ऑफर www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर लें। [mptenders](http://mptenders.gov.in) की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।
- 7.3 निम्नानुसार दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है—
 1. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।
 2. शर्त क्रं 6.1 के अनुसार संकल्प धनराशि ऑन लाईन जमा करने संबंधी विवरण
 3. शर्त क्रं 3.1.4 के अनुसार अनुसूची 6 में अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
 4. शर्त क्रं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 5. शर्त क्रं 3.1.8 के अनुसार प्रायवेट स्क्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट का वैध प्रमाण पत्र।
 6. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
 7. अनुसूची क्रमांक—3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रुपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र की स्कैन की गई प्रति ।
 8. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
 9. अनुसूची क्रं 5 में अनुबंध प्रारूप
 10. अनुसूची क्रं 4 में वित्तीय ऑफर

उपरोक्त क्रं 1 से 9 तक के दस्तावेज (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर—वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है) के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत् स्कैन करते हुये JPG या PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्कैन किये गये दस्तावेज पठनीय हों।

- 7.4. अनुसूची—5 अनुबंध प्रारूप पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रुपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है ।
- 7.5 ऑन लाईन लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में “सुरक्षा के कार्य हेतु निविदा दस्तावेज का तकनीकी विवरण ” लिखा जावे ।

8 निविदा खोला जाना—

- 8.1 ऑन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर दिनांक 07.11.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।
- 8.2 ऑनलाईन लिफाफा में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।
- 8.3 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई-मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

9 दर प्रस्तुत करना —

- 9.1 निगम द्वारा सुरक्षाकार्य के कार्य हेतु प्रति नियोजित व्यक्ति के आधार पर शासन द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जावेगा। वर्तमान में देय दैनिक वेतन के आधार पर निम्नानुसार राशि का भुगतान किया जावेगा—

S.N.	Particulers	Per Month	
1	Daily Weges as on 01-10-2025	12150 /—	
2	EPF Contribution @ 13% (EPF 12% + addmistrative Charges 1%)	1579.50 /—	
3	ESIC @ 3.25 %	394.87 /—	
	Total (A)	14124.37 /—	
4	GST on A @ 18 %	2542.38 /—	
	Grand Total A +GST	16666.75 /—	

निगम प्रत्येक नियोजित किये गये सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध उक्तानुसार 26 दिवस के आधार पर भुगतान करेगा। सुरक्षा का कार्य माह के सभी दिवस में होना आवश्यक है सुरक्षाकर्मी के 6 दिवस कार्य करने पर एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश के दिन उसके रिलीवर को दैनिक आधार पर किये गये कुल कार्य दिवस अनुसार राशि देय होगी। तालिक के बिन्दु क्रमांक 1 में दर्शाई गई राशि शासन के आदेशानुसार परिवर्तित होती रहेगी। उपरोक्त क्रं 2—4 में दर्शाई गई राशि शासन के आदेशानुसार परिवर्तनशील रहेगी।

- 9.2 आवेदक द्वारा संस्था द्वारा लिये जाने वाले प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह सर्विस चार्ज एवं उस पर देय में GST शामिल को वित्तीय आफर अनुसूची 4 में आन लाईन प्रस्तुत किया जायेगा। सर्विस चार्ज के अतिरिक्त वर्दी, बोनस आदि का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 9.3 दर अनुसूची क्रमांक 4 में आनलाईन प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।

- 9.4 शासन द्वारा श्रमिक को भुगतान की जाने वाली दरों में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित दरें तदनुसार मान्य की जावेगी। सर्विस चार्ज में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
 - 9.5 निगम द्वारा कंपनी द्वारा क्लेम किये गये सर्विस चार्ज के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जावेगा।
 - 9.6 निविदाकार द्वारा शून्य सर्विस चार्ज दर्शाये जाने की स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
 - 9.7 एक से अधिक निविदाकार की दरें समान न्यूनतम दर होने की दशा में निगम ऐसे सभी निविदाकारों से अनुबंध कर निगम की आवश्यकता अनुसार कार्य का आवंटन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में कार्य विभाजन/ आवंटन हेतु निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु अधिकारी रहेंगे एवं निविदाकार को आपत्ति लिये जाने का अधिकार नहीं होगा।
 - 9.8 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात् इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा।
 - 9.9 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुशंसित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को दें, उनके द्वारा प्रति प्रस्ताव अमान्य करने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को प्रति प्रस्ताव दिया जा सकेगा।
10. निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध –
- 10.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे।
 - 10.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुशंसाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी।
 - 10.3 प्रबंध संचालक द्वारा कडिका कं0 9.5 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा।
 - 10.4 उक्तानुसार कडिका 9.1 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची-5 अनुसार राशि रु 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।
 - 10.5 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा।
 - 10.6 उपरोक्त कडिका कं0 9.5 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकार को देते हुए अनुबंध कर कार्य आवंटन कर सकेंगे। द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार के सहमत न होने की दशा में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

- 10.7 एक से अधिक निविदाकारों की दरें समान व न्यूनतम होने की स्थिति में निगम एक से अधिक निविदाकारों का चयन करने एवं अनुबंध तथा कार्य आवंटित करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
- 10.8 निगम प्राप्त न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता से उनकी सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित कर सकेगा तथा प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा 2 दिवस में कार्य न करने पर ऐसे अनुबंधित निविदाकर्ता से कार्य करवा सकेगा अथवा शर्त क्रं 10.3 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

11. अनुबंध –

- 11.1 अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता सुरक्षासेवा प्रदाता कहलाएंगे।
- 11.2 निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में अनुसूची-5 अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 10 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। निविदाकार द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम निविदाकार द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से निविदाकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- 11.3 अनुबंधित दरें जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। उक्त दरों को सुरक्षासेवा प्रदाता के कार्य के संतोषजनक होने पर एक वर्ष आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- 11.4 अनुबंध होने के उपरांत सुरक्षाकार्य का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि सुरक्षा कार्यकर्ता/सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

12. धरोहर राशि—

- 12.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।
- 12.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।
- 12.3 धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है—
1. सुरक्षाकार्य सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
 2. सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में।

13. कार्य का स्वरूप तथा दायित्व –

01. निगम के मुख्यालय/ जिला कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों

01. निगम के सभी कार्यालय व्यवसायिक संस्थान है एवं जिला कार्यालयों में नगदी विक्रय/संस्थागत व्यवसाय किया जाता है, अतः राशि, सामग्री एवं व्यक्तियों को पूर्ण सुरक्षा देना तथा किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से अनवांछित व्यक्तियों को एवं सामग्री को संयंत्र के अन्दर नहीं आने देना तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के संयंत्र से किसी भी सामग्री /व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देना तदनुसार सुरक्षा सेवा दी जाना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की कोई भी आसामन्य गतिविधि की जानकारी तत्काल कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को देना।

02. उत्पादन ईकाइयों

01. उत्पादन ईकाइयों में विद्यमान राशि, सामग्री एवं व्यक्तियों को पूर्ण सुरक्षा देना तथा किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से अनवांछित व्यक्तियों को एवं सामग्री को अन्दर नहीं आने देना तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी सामग्री/व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देना ।
02. सुरक्षाकर्मी द्वारा यद्यपि केवल उन्ही व्यक्तियों, वाहनों, ट्रकों, सामग्री इत्यादि को इकाई में अंदर आने देना एवं बाहर जाने देना, जिसकी पहचान व अनुमति सुरक्षाकर्मी द्वारा नियमानुसार सुनिश्चित की जा चुकी हो। रात्रि में 10 बजे के पश्चात सक्षम अधिकारी कि बगैर अनुमति के किसी को भी इकाई में अंदर ना तो आने देना एवं ना ही बाहर जाने देना।
03. इकाई स्टाफ, उपस्थिति रजिस्टर, आउट ड्यूटी रजिस्टर, विभिन्न कान्ट्रेक्टरों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के पूरे विवरण का रजिस्टर संधारित करना।
04. इकाई में कोई भी कच्ची सामग्री, उत्पादित पोषण आहार, रिफ़ेक्शन, खाली बोरे, अन्य स्क्रेप, राख इत्यादि बगैर अनुमति के न तो आने देना तथा न तो जाने देना। कच्ची सामग्री, उत्पादित पोषण आहार, रिफ़ेक्शन, अन्य स्क्रेप, राख इत्यादि का वजन तौल काटे पर अपने समक्ष कराना तथा बिल क्र. संख्या, वजन दर व कुल राशि के विवरण की जानकारी सुरक्षा कर्मी द्वारा इंद्राज करना। विक्रय किये गए खाली बोरों की संख्या की पुष्टि करना।
05. फर्स्ट एड बाक्स को अद्यतन रखना।
06. छोटे वाहनों के लिए छोटा गेट तथा बड़े वाहनों के लिए बड़े गेट का इस्तेमाल करना। समय-समय पर संयंत्र के आस-पास की कार्य प्रणाली पर ध्यान रखना
07. आग बुझाने से सम्बंधित जानकारी रखना एवं सुनिश्चित करना कि आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था हो।
08. अपने रिकार्ड्स एवं डाक्यूमेंट्स को सुव्यवस्थित रखना तथा कार्यस्थल में अनुशासन बनाने में सहयोग देना।
09. बाहरी ब्यक्ति जो संयंत्र के अन्दर जाते हैं उनके स्वास्थ्य से सम्बंधित जानकारी को दर्ज करना, उनहें संयंत्र के नियमों के बारे में अवगत कराना तथा विजिटिंग कार्ड देकर संयंत्र के संबंधित अधिकारी /कर्मचारी तक पहुँचाना।
10. संयंत्र में आने वाले सभी वाहनों का निरीक्षण करना, उनके नम्बर नोट करना। ध्यान रखे की उनमे कोई आपत्तिजनक वस्तु या रसायन न हो। वाहनों के आने जाने का समय दर्ज करना।
11. सभी संयंत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के आने के समय गुटखा, बीडी, तम्बाखू आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं खाद्य सुरक्षा के लिए हानिकारक वस्तुओं का निरीक्षण करना तथा संयंत्र में आने वाली सभी महिलाओं व पुरुषों के गहनों और धागे इत्यादि का निरीक्षण करना।
12. प्राथमिक उपचार सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी का उपयोग करना।
13. किसी भी प्रकार की कोई भी असामान्य गतिविधि की जानकारी तत्काल संयंत्र प्रभारी को देना।
03. नियमानुसार चयन कर अनुबंध के उपरान्त सुरक्षासेवा प्रदाता को सुरक्षा कक्ष हेतु आवश्यक रजिस्टर एवं उपयुक्त टार्च सहित सुरक्षासेवा प्रदाता को सौंपे जाएंगे। इसके उपरान्त सुरक्षा कार्य का संचालन सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों से कराया जाएगा, एवं सुरक्षा कार्य के व्यवस्थित निष्पादन का पूर्ण दायित्व सुरक्षासेवा प्रदाता का रहेगा।

04. उक्तानुसार समस्त कार्य को संपादित करने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा की जाना होगी जिससे सुरक्षा का कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके, तथा उसकी नियोजित सुरक्षा कर्मियों की सूची संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। यदि सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों से सुरक्षा का कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाता है तो सुरक्षासेवा प्रदाता को समुचित सुरक्षा कार्य आवश्यक कार्यवाही कर कराना होगा।
05. सुरक्षासेवा प्रदाता की असावधानी से यदि सुरक्षा कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाता है, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी उपस्थित नहीं रहते हैं तथा सुरक्षा कार्य नहीं हो पाता है तो निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था से सुरक्षा कार्य कराया जाएगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि सुरक्षासेवा प्रदाता से वसूल की जायेगी।
06. सुरक्षा कार्य के निष्पादन से कार्य के दौरान यदि कोई हानि होती है तो इसकी सूचना तत्काल सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा प्रभारी को दी जायेगी। प्रभारी यह निर्णय लेंगे कि हानि ठेकदार की असावधानी से हुई है या सामान्य रूप से हुई है। यदि सुरक्षासेवा प्रदाता की असावधानी से सुरक्षा कार्य में कोई हानि होती है तो उसकी वसूली संबंधित सुरक्षासेवा प्रदाता से की जायेगी।
07. यदि प्रभारी को लगता है कि, सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों से कार्य कराना निगम के हित में नहीं है तो सुरक्षासेवा प्रदाता को उन्हें तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को नियोजित करना होगा।
08. सुरक्षासेवा प्रदाता का दायित्व होगा की वह सुरक्षा कार्य का उचित प्रकार से निष्पादन करे एवं संयंत्र प्रभारी को इससे अवगत कराते रहे तथा उनसे निरीक्षण कराते रहे।
09. सुरक्षासेवा प्रदाता (अनुबंधकर्ता) को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु नियोजित सुरक्षाकर्मियों का ईपीएफ, ईएसआई का निर्धारित अंशदान भुगतान कर नियोजित सुरक्षाकर्मियों से उनका अंशदान प्राप्त कर संबंधित विभागों में जमा करा कर उसकी रसीद इत्यादि प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। इसके लिए सुरक्षासेवा प्रदाता को कोई अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा।
10. यदि सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा श्रम अधिनियमों में एवं लागू अन्य अधिनियमों का पालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सुरक्षासेवा प्रदाता की होगी तथा निगम द्वारा देय राशि में से विभागों को देय राशि काटी जा कर संबंधित विभाग को भुगतान की जायेगी, जिस पर सुरक्षासेवा प्रदाता को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा।
11. सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा तथा देनदारियों का सम्पूर्ण दायित्व सुरक्षासेवा प्रदाता का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या अन्य स्थिति में सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किए गए सुरक्ष कर्मियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के किसी भी क्लेम के विरुद्ध भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व सुरक्षासेवा प्रदाता का रहेगा। सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कोई भी सुरक्षाकर्मी किसी भी रूप में निगम के नियोजन में नहीं माने जायेंगे तथा ऐसे सुरक्षा कर्मियों के नियमानुसार सभी प्रकार के दायित्वों के लिए सुरक्षासेवा प्रदाता सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सुरक्षासेवा प्रदाता का दायित्व है कि वह शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर भुगतान उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को करें। किसी भी विवाद/शासन के नियमों के उल्लंघन की दशा में उत्पन्न वैधानिक स्थिति के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा। सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों के कार्यों/गलतियों के कारण या सुरक्षासेवा प्रदाता के कार्यों/गलतियों के कारण निगम को हानि होती है तो उसकी भरपाई सुरक्षासेवा प्रदाता से की जाएगी।

12. सुरक्षासेवा प्रदाता अपने दायित्वों को पूरा करने के दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगटीकरण नहीं करेगा तथा हमेशा उसे गोपनीय रखेगा।
13. सुरक्षासेवा प्रदाता निम्न के संबंध में निगम के पक्ष में बीमा कराएगा एवं उसे कार्य अवधि में लागू रखेगा:—
- कार्य के निष्पादन के दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा।
 - कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा। लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।
14. सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा कार्य में नियोजित किए गए कर्मचारी, सुरक्षासेवा प्रदाता के ही कर्मचारी होंगे और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही वे किसी भी प्रकार से निगम के कर्मचारी माने जाएंगे।
14. भुगतान—
- 14.1 सुरक्षासेवा प्रदाता का दायित्व है कि वह नियोजित किये गये सुरक्षाकर्मियों को प्रत्येक माह की अंतिम तिथी तक आवश्यक रूप में निर्धारित वेतन का भुगतान करें, एवं तदनुसार EPF, ESIC का भुगतान करेंगे।
- 14.2 सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह अनुबंधित दर अनुसार विधिवत दो प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेगें। जिस कार्यालय में सेवाएं दी जाएगी, उसी कार्यालय को देयक प्रस्तुत किया जाएगा।
- 14.3 देयक प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। भुगतान के पूर्व प्रभारी अधिकारी को सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा ड्यूटी पर लागाये कर्मचारी के विगत माह में जमा किये गये ईपीएफ व अन्य भुगतान की जानकारी दी जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित दरों से भुगतान नहीं किया जा रहा है तो प्रभारी उनके प्रचलित देयकों से राशि की भरपाई संबंधित कर्मचारियों को करने का अधिकारी रहेगा।
- 14.4 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व सुरक्षा सेवा कार्य प्रदाता का रहेगा, इस आधार पर सुरक्षा सेवा कार्य नहीं रोका जायेगा।
- 14.5 किसी भी प्रकार की कटौती का निर्णय होने की दशा में सुरक्षासेवा कार्य प्रदाता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती प्रभारी अधिकारी द्वारा की जावेगी।
15. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. निगम के प्रबन्ध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
17. **Force major clause** लागू रहेंगे जिसके निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगे।
18. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगे, आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा।



दि.एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कार्पो.लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305
✉ email - mpagrohobpl@gmail.com website : www.mpagro.org
CIN No. U01119MP19695GC001055

सुरक्षा सेवा का कार्य करने हेतु घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सुरक्षा सेवा का कार्य पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदनुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रु 1.50 लाख प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं स्थल का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदनुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

नोट : राशि रुपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

FINANCIAL BID EXCLESHEET

Annexure 4

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

FINANCIAL BID

FOR SECURITY WORK ON CONTRACT BASIS

The rate is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The service charges charge should be quoted for Per Person per Month as per clause 9 of Annexure 2

Name of the Bidder
Address
.....

Sr	Place	Rate Per Month (Please fill amount and not percentage)		
		RATE	GST	TOTAL
1	2	3	4	5(3+4)
1	Service charges per month per person			

**Note: Rates mentioned in column no 3 will be considered
for comparison purpose.**

Signature of the Bidder
along with sea

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स जिन्हें आगे " सुरक्षा सेवा प्रदाता " कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा सेवा का कार्य करने हेतु दिनांक को निविदा आमंत्रित की गई थी । सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है। निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से सुरक्षा सेवा प्रदाता के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :-

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. सुरक्षा सेवा प्रदाता का घोषणा पत्र
3. सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारीयां ।
4. निगम द्वारा समय समय पर सुरक्षाकर्मीयों के नियोजन किये जाने हेतु निगम द्वारा जारी आदेश

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)

गवाह :

- 1.
- 2.

सुरक्षासेवा प्रदाता

- 1.
- 2.

(राशि रु 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)

अनुभव / परफारमेंस प्रमाण पत्र
(जारी करने वाली संस्था के लेटर हेड पर तैयार कराया जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स (नाम एवं पता) द्वारा
हमारी संस्था के जिला / जिलों के कार्यालयों में सुरक्षा कार्य हेतु
दिनांक से तक कुल कर्मचारी लगाये गये है/थे।
मेसर्स..... का कार्य इस दौरान सतोष जनक रहा।

हस्ताक्षर एवं सील
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम एवं पद

नोट— निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्रों के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष
बिना अंतराल के अनुभव होना आवश्यक है।